

मानक शर्तें

(वन अनुमान--3, उ० प्र० शासन की पत्र संख्या 7314 / 14-3-1990 / 82 दि. 31.12.84 द्वारा निर्वाचित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्ण की भौति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग कंगल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मौंगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा टेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित बनायिकारी द्वारा निर्वाचित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित बनायिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनायी गयी मुद्रेरों आदि का भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आन्धादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्र का हस्तान्तरण यथा सम्बन्ध प्रस्तावित न किया जाय। अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा कियाजाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं से स्वच्छन्द विवरण की अवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचार्ड विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पोर्टों को एवं वन विभाग के कमचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन में करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता, याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि नियन्त्रण त्वयः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
11. सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर एलाइकेन्ट तथा होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा। अधीक्षण अनियन्त्रा आरतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राविकारण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्यटीय क्षेत्र, पौधी को सम्बन्धित पत्र संख्या 608 / सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी आरतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राविकारण द्वारा किया जायेगा जैसे कि आश्व मार्ग बनाना, वन मार्ग का मामूली फेर बदलकर पवका करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न हो और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक हो।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलायिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खडे घृष्णों का निरतारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उद्धित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से घृष्णों का निरस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो तो उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा घृष्णों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

S. M.
SAGNIK MONDAL
प्रबन्धक - परियोजना
Manager - Projects

30 (26)


हृष्णीय वन अधिकारी
शत्रुघ्नीय अधिकारी

A/c✓


(अधीक्षण अनियन्त्रा)
वन अधिकारी अधिकारी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राविकारण
प्रबन्धक अधिकारी

14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले बृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परियोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जायें, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े बृक्षों का पातन निषिद्ध है इसी प्रकार बीज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे बृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. यन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सम्मुद्र त्वयि निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुग्रहन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में मूँ-क्षरण की सम्भावना होती है, और नहर की दोनों पटरियों को पवक्ता करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से रख्य करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक कार्यों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अधवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वह याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन विभाग का यास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा लिखित रूप से आशयासन प्राप्त हो जाये।
प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिंग को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्त मान्य है तथा इनका अनुपालन किया जायेगा।

तिथि: / / 2020
स्थान:


(सान्निक मोन्डल)
प्रबन्धक—परियोजना
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिंग

सान्निक मोन्डल
SAGNIK MONDAL
प्रबन्धक — परियोजना
Manager - Projects


एन्ड्रीय वन अंद्रेय
वाट्सप्लॉय

A. Kumar
(आदर्श कुमार)
प्रभागीय संचेतनक
वन १ अन्य नील
दिल्ली पुर

(23)

31